न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 –02/2021(2021/30)

अनवान : –

1. मैनावती पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा –प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रार्थीया
पैरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 16/8/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं. 144/137 के खसरा सं. 282, 283, 355, 375, 376, 377, 445 की कुल 13.456 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 1/70 हिस्सा एवं इसी प्रकार रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 365/466 के खसरा संख्या 07, 18, 260, 720/231 की कुल 10.193 है. बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया को 0.728 है. में से 1/5 हिस्सा खातेदारी प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम नैनावती पत्नी जयसिंह दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम मैनावती पत्नी जयसिंह है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, राशन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज मैनावती नाम से ही है। प्रार्थीया का सभी दस्तावेजों में नाम मैनावती पत्नी जयसिंह ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नैनावती पत्नी जयसिंह की जगह मैनावती पत्नी जयसिंह करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश की।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 11:05:19 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र रोही मौजा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उतरादाबास के खाता सं. 144/137 के खसरा सं. 282, 283, 355, 375, 376, 377, 445 की कुल 13.456 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 1/70 हिस्सा एवं इसी प्रकार रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 365/466 के खसरा संख्या 07, 18, 260, 720/231 की कुल 10.193 है. बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया को 0.728 है. में से 1/5 हिस्सा खातेदारी प्रार्थीया के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज करते समय संवहन से मैनावती पत्नी जयसिंह की जगह नैनावती पत्नी जयसिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीया या का सही नाम मैनावती पत्नी जयसिंह है। प्रार्थीया ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो मैनावती पत्नी जयसिंह नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थीया या अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं. 144/137 के खसरा सं. 282, 283, 355, 375, 376, 377, 445 की कुल 13.456 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि में 1/70 हिस्सा एवं रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 365/466 के खसरा संख्या 07, 18, 260, 720/231 की कुल 10.193 है. बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीया को 0.728 है. में से 1/5 हिस्सा खातेदारी प्रार्थीया के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थीया या का सही नाम नैनावती पत्नी जयसिंह की जगह मैनावती पत्नी जयसिंह दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच नैनावती के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में नैनावती के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी नैनावती नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छिपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....16/8/21.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 11:05:19 IST
Reason: SelfAttested